बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 65

## सीमित दायित्व का संरक्षण

**सर्वोच्च** न्यायालय ने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में नैशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) और 63 मून्स टक्नॉलाजीज (पूर्व में फाइनैंशियल टेक्नॉलाजीज इंडिया अथवा एफटीआईएल) के जबरिया विलय को निरस्त कर दिया। कारोबारी संचालन के लिए इसके गहन निहितार्थ तो हैं ही साथ ही यह 'जनहित' को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की समझ के बारे में भी विस्तार से बताता है।

विलय का प्रवर्तन केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2016 में उस समय किया गया था जब एक घोटाले के बाद डिफॉल्ट की स्थिति बनी और 2013 में एनएसईएल बंद हो गई। एनएसईएल, 63 मून्स की अनुषंगी है और विलय का अर्थ यह था कि एनएसईएल की सारी देनदारी 63 मून्स के ऊपर आ जाती। केंद्र ने कंपनी अधिनियम की धारा 396 का इस्तेमाल किया था जो जनहित में अनिवार्य विलय की इजाजत देती है। परंतु जिग्नेश शाह द्वारा स्थापित और प्रवर्तित 63 मून्स ने इस आदेश के खिलाफ अपील की। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2017 में इस विलय को बरकरार रखा। उसके पश्चात कंपनी ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की। अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस आधार पर विलय को नकार दिया है कि यह जनहित की शर्त को पूरा नहीं करता। अदालत ने यह भी कहा कि विलय का निर्णय बिना सोचे समझे लिया गया और यह संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। एनएसईएल का गठन 2005 में जिंस कारोबार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में किया गया था। इसमें कारोबार की गई जिंसों की अनिवार्य आपूर्ति की बात शामिल थी। इसमें 2008 में ट्रेडिंग की शुरुआत हुई।

इसके बाद एक घोटाला सामने आया जिसमें पता चला कि एनएसईएल ने ऐसे अनुबंधों के कारोबार की इजाजत दी जिन्हें वास्तविक वस्तुओं का समर्थन नहीं हासिल था। यह आरोप भी लगा कि बढ़े-चढ़े मूल्य वाले फर्जी अनुबंधों का इस्तेमाल ऋण लेने के तरीके के रूप में किया गया। जुलाई 2013 में जब एनएसईएल करीब 13,000 कारोबारियों को 5,600 करोड़ रुपये की राशि चुकाने में चूक गई तब कारोबार रोक दिया गया। मामले की जांच कर रहे और न्यायालय द्वारा नियुक्त एक पैनल ने अब तक 4,697 कारोबारियों को 620 करोड़ रुपये की राशि चुकता की है। शाह को गिरफ्तार करके आदेश दिया गया था कि वे एनएसईएल और एमसीएक्स समेत तमाम वित्तीय एक्सचेंज में अपनी हिस्सेदारीर समाप्त करें। इनका प्रवर्तन भी शाह और एफटीआईएल ने किया था। इस घोटाले ने नियामकीय ढांचे के पुनर्गठन की भी शुरुआत की और वायदा बाजार आयोग का सेबी के साथ विलय कर दिया गया और उसने जिंस बाजार के नियामक की जिम्मेदारी संभाल ली। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बताता है कि 63 मून्स को एनएसईएल की देनदारी का बोझ उठाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

यह आदेश सीमित दायित्व की बुनियादी अवधारणा को लेकर स्पष्ट सीमा रेखा खींचता है। यकीनी तौर पर अगर यह विलय पूरा होता तो एक खतरनाक नजीर पेश करता। इससे सीमित दायित्व की अवधारणा की धज्जियां उड़ जातीं और देश में कारोबार करना अत्यंत जोखिम भरा हो जाता। अन्य मामलों में ऋणदाता डिफॉल्ट करने वाली अनुषंगी के मुनाफा कमाने वाली मूल कंपनी के साथ विलय की मांग करते। चूंकि 63 मून्स 60,000 अल्पांश अंशधारकों वाली सूचीबद्ध कंपनी है। इसलिए उसे एनएसईएल के डिफॉल्ट का बोझ उठाने पर मजबूर करना उचित नहीं होता। यह मामला और निर्णय जिंस के हाजिर कारोबार की बहाली के प्रयासों को स्पष्ट करेगा।

एनएसईएल इकलौता ऐसा एक्सचेंज था जिसने बाजार के इस अहम क्षेत्र को सक्षम बनाया था। इस उद्देश्य के लिए नए एक्सचेंज बनाने पर विचार कर रहे उद्यमियों या इस क्षेत्र में आना चाह रहे मौजूदा एक्सचेंज के लिए यह एक उपयुक्त खाका प्रस्तुत करता है।

*अजय मोहंती*

# दिवालिया निपटारे से जुड़ी आशंकाओं का सच होना

### आईबीसी प्रक्रिया में आई खामियों और उनको लेकर जताए गए पुराने संदेहों के सच होने को लेकर अपनी बात रख रहे हैं **देवाशिष बसु**

तीन वर्ष पहले, मैंने नई ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) पर नौ आलेखों की शृंखला का पहला आलेख लिखा था। उस समय मैंने अपने आलेख में जो दलील और तर्क प्रस्तुत किए थे उन्हें विचित्र बताया गया था क्योंकि उस वक्त एक प्रतिबद्ध दिख रही सरकार नया कदम उठा रही थी। माना जा रहा था कि नया अधिनियम अब तक इस क्षेत्र में हाथ लगी नाकामी को दूर करेगा और ऐसे कदमों का मार्ग प्रशस्त करेगा जो अब तक नहीं उठाए जा सके थे। यानी दिवालिया मामलों में राज्य का कहीं अधिक गहन हस्तक्षेप। आईबीसी का सफल क्रियान्वयन काफी हद तक सरकार के बढ़े हुए हस्तक्षेप पर निर्भर था। इसमे पंजीयन, प्रमाणन और निगरानी का व्यापक ढांचा शामिल था।

उस वक्त मैंने संदेह प्रकट किया था कि यह पूरी प्रक्रिया बहुत जल्दी गड़बड़ा जाएगी और इसका स्थान अलग-अलग प्रकार की दिक्कतें ले लेंगी जो पहले से ही मौजूद हैं। आईबीसी की शुरुआत से पहले बैंकर, कर्जदार और परिसंपत्ति पुनर्गठन एजेंसियां एक ऐसे कानूनी ढांचे के अधीन काम करती थीं जिसका गठन तीन दशक तक छिटपुट हल और उपाय तलाशने के बाद किया गया था। इसमें ऋण वसूली करने वाले पंचाट और अदालतें आदि भी शामिल थे। इस दौरान सौदेबाजी भी होती थी, लंबे समय तक निष्क्रियता भी रहती थी, तमाम गतिरोधों के साथ निपटारे और हजारों अनसुलझे मामले। हर किसी को यह लगा कि अगर समयबद्ध तरीके से काम करने वाली और आईबीसी की निगरानी वाली निपटारा योजना आ जाती है तो राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट के अधीन एकदम अलग नतीजा देखने को मिल सकता है।

तीन वर्ष बीत चुके हैं और मेरी आशंकाएं सच साबित हो रही हैं। आईबीसी के जल्द निस्तारण से जुड़ा उत्साह अब नदारद हो रहा है। कुल 898 चल रहे मामलों में से बमुश्किल 79 मामलों को ही नई व्यवस्था के तहत निपटाया जा सका। इस अधिनियम के अधीन ऋणशोधन का कोई भी मामला 270 दिन के भीतर निपटाया जाना आवश्यक है। अगर उस वक्त तक परिसंपत्ति का कोई खरीदार नहीं मिलता है तो निस्तारण पेशेवर कंपनी को बंद करके और बेचकर पैसे जुटा लेगा। बहरहाल, करीब 275 मामले ऐसे हैं जो 270 दिन की तय सीमा पार कर चुके हैं। इनमें एस्सार स्टील का मामला प्रमुख है जो करीब 50,000 करोड़ रुपये का है। यह मामला करीब 600 दिनों से भी अधिक समय से लंबित है और विभिन्न अदालतों के चक्कर काट रहा है।

इस बीच निस्तारण के लिए जो भी मामले गए, उनमें से अधिकांश में बैंकरों, प्रवर्तकों और निस्तारण पेशेवरों का गठजोड़ अक्षुण्ण बना हुआ है। राष्ट्रीय कंपनी लॉ पंचाट के कई निर्णय ऐसे हैं जिन्होंने हर किसी को भ्रमित कर दिया है। अगर कुछ और नहीं तो भी कानून में निरंतर संशोधन, बैकों और अदालतों द्वारा उठाए गए मनमाने कदम और लंबे समय तक चलने वाले अदालती मामले तथा भ्रष्टाचार आदि आईबीसी को धता बता देंगे। जरा ऐसे ही कुछ मसलों पर विचार कीजिए जिनका हमने यूं ही चयन किया है:

■ आखिरकार जेट एयरवेज की स्थिति इस प्रकार अचानक खराब क्यों हुई जबकि उसकी हिस्सेदारी रखने वाले सरकारी बैंकों ने इस घटना की आशंका चार महीने से भी अधिक पहले जता दी थी।

■ राष्ट्रीय कंपनी लॉ अपीली पंचाट ने हाल में एक आदेश पारित किया जिसके तहत प्रवर्तक उस वक्त भी कर्जदाताओं के साथ निपटारा कर सकेंगे जबकि कंपनी के नकदीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी हो। इससे धारा 29ए के संशोधन का क्या होगा जिसके तहत देनदारी में चूक करने वालों को कंपनियों का नियंत्रण वापस मिलने से रोकने की व्यवस्था की गई थी? क्या सरकार इस निर्णय को चुनौती देगी?

■ करीब छह महीने पहले आईबीसी में संशोधन करके धारा 12ए जोड़ी गई थी। यह धारा उस स्थिति में किसी कॉर्पोरेट कर्जदार के विरुद्ध ऋणशोधन प्रक्रिया को खत्म करने की इजाजत देती है जबकि कर्जदारों की समिति के 90 फीसदी हिस्सेदार इस बात पर अपनी सहमति जताते हों। तब से अब तक करीब 80 मामलों में इस प्रावधान का इस्तेमाल किया जा चुका है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष से दोगुना है। सरकारी क्षेत्र के बैंकर और प्रवर्तक, जो जवाबदेह नहीं हैं, वे हालात का लुत्फ लेते रह सकते हैं। इन कंपनियों को शायद अब नया ऋण मिल सकेगा। यह कर्ज भी फंसे हुए कर्ज में तब्दील होगा। स्विस रिबन इन्सॉल्वेंसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऋणशोधन प्रक्रिया केवल तभी तक रद्द की जा सकती है जब तक कि सीओसी का गठन न किया गया हो, भले ही मामला एनसीएलटी के अधीन जा चुका हो।

■ गत वर्ष सितंबर तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय कर्जदाताओं को अपने दावे के 25 फीसदी तक ही राशि वापस मिल सकेगी। आईबीसी के पहले की व्यवस्था भी कुछ ऐसी ही थी। मुझे आशंका है कि अगर प्रवर्तक मालिकाना बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं तो भविष्य में यह आंकड़ा और अधिक गिर सकता है।

■ सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक के 12 फरवरी 2018 के सर्कुलर को रद्द कर दिया है। यह सर्कुलर बैंकों से मांग करता था कि वे एक दिन की देरी होने पर भी कर्ज को फंसे हुए कर्ज के रूप में वर्गीकृत कर दें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कंपनियों पर बैंकों की राशि चुकता करने का दबाव काफी कम हो गया है।

■ बैंकों और प्रर्वतकों के गठजोड़ के एक निर्लज्ज उदाहरण में आंध्र बैंक और अन्य कर्जदाताओं ने स्टर्लिंग बायोटेक के संदेसरा समूह के भगोड़े डिफॉल्टरों के साथ एकबारगी निस्तारण का प्रयास किया। जबकि स्टर्लिंग एसईजेड में भी ऐसे ही एक सौदे का प्रस्ताव रखा गया था लेकिन एनसीएलटी ने न केवल कंपनी का नकदीकरण कर दिया बल्कि सरकार को यह निर्देश भी दिया कि वह वरिष्ठ बैंकरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे क्योंकि उन्होंने पंचाट को गुमराह करने का प्रयास किया।

■ आईबीसी के मुताबिक आवेदन 14 दिन के भीतर होना चाहिए। कानूनी ढांचा इतना कमजोर है कि अदालतों ने यह तय कर लिया है कि 15 दिन की अवधि अनिवार्य नहीं है और कई मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।

■ लिबर्टी हाउस एमटेक ऑटो और आधुनिक मेटल्स के लिए सफल बोलीकर्ता के रूप में उभरी लेकिन उसके राशि न चुकाने से प्रक्रिया को धक्का पहुंचा है।

सरकार ने 27 दिवालिया अदालतों की योजना बनाई जिनमें से आधी ही संचालित हैं।

इस बीच आधे-अधूरे उपाय जगह बना रहे हैं। मसलन मध्यस्थता। मैंने दो वर्ष पहले ही कहा था कि आईबीसी की मूल कमी यह है कि यह प्रवर्तकों, अधिवक्ताओं और राजनेताओं द्वारा व्यवस्था को धता बताने की कोशिशों को ध्यान में नहीं रखता। मैं भ्रमित करने वाले अदालती निर्णयों का जिक्र करने से चूक गया था। ऐसी परिस्थितियों में सरकार हालात सुधारने की कोशिश में और गड़बड़ी कर देती है। फंसे हुए कर्ज के साथ भी यही हुआ था। आईबीसी के साथ भी यही होगा।

# विशाखा मामले में तय मानकों को लांघने की कोशिश

जिंदगीनामा

कनिका दत्ता

**उच्चतम** न्यायालय ने वर्ष 1997 में यौन उत्पीड़न शिकायतों पर हरेक संगठन में आंतरिक समिति बनाने के बारे में निर्देश देकर महिला अधिकारों के लिए नई जमीन तैयार की थी। विशाखा केस के रूप में चर्चित इन निर्देशों को वर्ष 2013 में कानून का रूप दिया गया। ऐसा लगता है कि वर्ष 2019 में उच्चतम न्यायालय कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के संबंध में नए नियम तय कर रहा है जो कामकाजी महिलाओं को शायद ही आश्वस्त कर पा रहा है।

संगठनों के ताकतवर प्रमुखों के खिलाफ यौन उत्पीड़न शिकायतों के विवादास्पद मुद्दे से निपटने के लिए एक प्रकाश-स्तंभ के रूप में उच्चतम न्यायालय अब तक बहुत हल्की रोशनी ही दे पाया है। यौन उत्पीड़न की शिकायतों के संदर्भ में दो मामले बेहद चर्चित रहे हैं। तहलका पत्रिका के संपादक एवं प्रवर्तक तरुण तेजपाल और पर्यावरण थिंक टैंक 'द एनर्जी ऐंड रिसर्च इंस्टीट्यूट' (टेरी) के महानिदेशक आर के पचौरी पर लगे आरोप काफी चर्चित हुए। तेजपाल मामले में सुनवाई गत वर्ष फरवरी में शुरू हुई जबकि इसकी शिकायत वर्ष 2013 में ही की गई थी। पचौरी मामले की सुनवाई इस साल शुरू हुई है जबकि इसकी शिकायत 2015 में ही की गई थी। इस मामले में शिकायतकर्ता ने निचली अदालत से जारी आदेश में से अपना नाम हटाने की दरखास्त दी है। वह अदालत से उस कानूनी प्रावधान का पालन करने को कह रही है जिसमें यौन उत्पीड़न एवं यौन हमले की पीड़िताओं के नाम सार्वजनिक नहीं करने को कहा गया है।

देश के प्रधान न्यायाधीश पर लगे आरोपों से निपटने का ढंग शीर्ष अदालत के लिए कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न (निवारक, निषेध एवं निवारण) यानी पोश अधिनियम के संचालन के लिए सुरक्षा-घेरा तय करने का मौका होता। लेकिन अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं दिखा है।

हालांकि यह भी सच है कि महिला ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। उसे आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत करनी चाहिए थी, न कि मुख्य न्यायाधीश के सहकर्मियों से। लेकिन इस विसंगति पर गौर करें कि ऐसी किसी भी शिकायत पर कार्यवाही बढ़ाने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुमति जरूरी होती है। ऐसे में संभवत: शिकायतकर्ता को लगा हो कि अपने खिलाफ लगने वाले गंभीर आरोपों को वे खारिज कर देते।

मुख्य न्यायाधीश ने एकतरफा ढंग से तीन सदस्यों का विशेष पीठ बनाकर इस महिला की आशंकाओं को एक हद तक सही भी ठहरा दिया। मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सत्यनिष्ठा एवं बेगुनाही को साबित करने के लिए पीठ में अपने अलावा दो अन्य पुरुष न्यायाधीशों को भी जगह दी। किसी औपचारिक जांच समिति द्वारा दोषी ठहराए बगैर उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए था? ये आरोप कितने भी सनसनीखेज क्यों न हों, लेकिन अब भी ये एक कर्मचारी के अप्रमाणित आरोप भर हैं।

आरोपी की तरफ से महिला पर लगाए गए जवाबी आरोपों के बचाव के लिए शिकायतकर्ता को बुलाया भी नहीं गया। इसके बजाय उनके मित्र न्यायाधीशों ने उनकी व्याख्या को उदारतापूर्वक स्वीकार करते हुए इन 'निराधार एवं कुत्सित' आरोपों के संदर्भ में एक आदेश भी जारी कर दिया लेकिन इसका जिक्र तक नहीं किया कि पीठ में मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं। पिछले साल तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अनियमित कार्यशैली को उजागर करने के लिए आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शामिल होकर एक न्यायाधीश के लिए ऐसा आचरण असामान्य था।

पुरुष एवं महिला वकीलों की आलोचनाओं के बाद एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। यह समिति क्या पोश अधिनियम के अनुरूप है? क्या इसका प्रमुख एक महिला को बनाया गया है और उसमें दो महिलाएं शामिल हैं और क्या उसमें किसी एनजीओ या महिला अधिकार कार्यकर्ता को बाहरी सदस्य बनाया गया है? इसका जवाब ना है। समिति में पहले दो पुरुष सदस्य और एक महिला न्यायाधीश थीं। इस विसंगति की तरफ ध्यान दिलाने के बाद एक पुरुष सदस्य को हटाकर उसमें एक और महिला न्यायाधीश को रखा गया है। लेकिन अब भी उसमें कोई बाहरी सदस्य नहीं है।

दो सुनवाई होने के बाद महिला ने जांच समिति के सामने पेश होने से यह कहते हुए मना कर दिया है कि उसे साथ में वकील रखने की अनुमति नहीं दी जा रही है और न ही उसे निर्धारित प्रक्रिया के बारे में बताया गया। उसकी शिकायतों की सूची काफी लंबी है जिनमें से दो बिंदु खास हैं। पहला, क्या उसे जांच समिति के समक्ष पेशी के दौरान साथ में वकील रखने की इजाजत दी जानी चाहिए थी (उसने सुनने में परेशानी होने और सामान्य घबराहट को वजह बताया है)? पोश अधिनियम इस बारे में मौन है। लेकिन सीधे मुख्य न्यायाधीश को रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों के सामने इस महिला के अकेले खड़े होने की बात को ध्यान में रखें तो न्यूनतम नैतिकता यही कहती है कि उसकी दरखास्त मान ली जानी चाहिए। दूसरा, क्या समिति को खास मोबाइल नंबरों के कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप संदेश और चैट रिकॉर्ड दर्ज करने की अर्जी मान लेनी चाहिए? उसने अपनी शिकायत में कहा था कि मुख्य न्यायाधीश ने उससे कुछ संदेश डिलिट करने को कहा था।

लेकिन यह बात सबसे अटपटी है: शिकायतकर्ता के मुताबिक उसे समिति ने बताया कि यह न तो आंतरिक समिति है और न ही विशाखा के तहत सुनवाई है (ऐसा होने पर दीवानी अदालत की शक्तियां मिल जातीं) बल्कि यह अनौपचारिक सुनवाई है। यह मुख्य न्यायाधीश से किस तरह स्वतंत्र है?

इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर उभरी चिंताओं के बीच 250 से अधिक नारीवादियों, वकीलों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने साझा बयान जारी कर स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसी पूर्व मुख्य न्यायाधीश को जांच का जिम्मा सौंपा जाए और मौजूदा पदाधिकारी जांच चलने तक अपने दायित्वों का निर्वहन न करें। अदालत की निष्ठा ऐसे ही कदम पर निर्भर करती है।

## कानाफूसी

### वर्षा के लिए पूजा

गर्मियां अपने चरम पर पहुंच रही हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि तमिलनाडु की राज्य सरकार को अच्छी तरह पता है कि वर्षा के देवता को किस प्रकार प्रसन्न किया जाना है? राज्य सरकार के अधीन काम करने वाले हिंदू रिलीजियस ऐंड चैरिटेबल ऐंडोवमेंट्स डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके इस सर्कुलर में राज्य भर के मंदिरों से यह अनुरोध किया गया है कि वे नादस्वरम, वायलिन, बांसुरी, वीणा तथा अन्य वाद्य यंत्रों के माध्यम से अमृतवर्षिणी, मेघवर्षिणी, केदारी, आनंद भैरवी और लोक कल्याणी राग बजाएं ताकि बारिश हो सके। इतना ही नहीं सर्कुलर में शिव एवं विष्णु मंदिरों में विशेष पूजा और यज्ञ आयोजित करने की बात भी कही गई है। मंदिरों से कहा गया है कि वे पूजा की जानकारी एकत्रित करें और प्रत्येक यज्ञ के पूरा होने पर जानकारी अग्रेषित करें।

### परिचय की कवायद

व्यापार घाटे और औद्योगिक क्षेत्र की लालफीताशाही से निपटने के बाद वाणिज्य मंत्रालय के नौकरशाह अप्रैल माह में एक अलग प्रयास में नजर आए। बीते दो सप्ताह से वे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं उनके नए सहकर्मी कौन हैं। अप्रैल के आरंभ में सरकार ने नौ लोगों को विभिन्न मंत्रालयों में सीधे संयुक्त सचिव के स्तर के पद पर नियुक्त करने की बात कही थी। परंतु विभागीय अधिकारियों को मंत्रालय के लिए इस सूची में शामिल अरुण गोयल के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिल सकी। बहरहाल, मंगलवार को उनकी इस तलाश का अंत हुआ जब ऑनलाइन मार्केट प्लेस शॉपक्लूज ने बताया कि गोयल अगस्त 2015 से कंपनी के उत्पाद प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

## आपका पक्ष

### देश में कृषि क्षेत्र को मिले बढ़ावा

किसान और उनके परिवार मई माह में खेती के काम में जुट जाते हैं। खरीफ फसलों के लिए मई में खेतों की जुताई होती है। जून में मॉनसून भारत में दस्तक देता है। इसके बाद किसान खेतों में बुआई करते हैं। किसान और उनके परिवार खेतों की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक काफी मेहनत करते हैं। लेकिन उनकी मेहनत के मुताबिक उन्हें फसल के उचित दाम नहीं मिल पाते हैं। इस कारण कुछ किसान आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2015 में 8,007 किसानों और 4,595 खेतिहर मजदूरों ने आर्थिक तंगी के चलते आत्महत्या कर ली। वहीं 2014 में 5,650 किसानों और 6,710 खेतिहर मजदूरों ने खुदकुशी की। आज भी किसानों की आत्महत्या देश के लिए एक गंभीर समस्या है। पिछले वर्ष दिल्ली में निकले किसान मुक्ति मार्च में किसानों ने सरकार के खिलाफ गहरा असंतोष प्रकट किया था। लेकिन दुर्भाग्य से इन चुनावों में भी किसानों और अन्य मुद्दों के बारे में चर्चा नदारद हैं। देश के मध्य तथा छोटे किसानों के पास जरूरी संसाधनों की कमी होती है। बड़े किसान ट्रैक्टर से खेत जोत लेते हैं लेकिन मझोले और छोटे किसान बैलों से खेत जोतते हैं या ट्रैक्टर किराये पर लेते हैं। गर्मियों में चारे की समस्या भी होती है जिससे बैलों को महंगा चारा खिलाना पड़ता है। बीज कंपनियां बीजों की उत्पादन क्षमता के बड़े दावे करती हैं लेकिन ये दावे खोखले निकलते हैं। मध्य और छोटे किसानों के पास सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं होती और वे मॉनसून पर निर्भर रहते हैं। ग्रामीण इलाकों में 70 फीसदी लोगों की आजीविका आज भी खेती पर निर्भर है। जब उनकी आय बढ़ेगी तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी आएगी। इसलिए नई सरकार को कृषि पर अधिक ध्यान देना होगा। देश का किसान जब खुशहाल होगा, तभी देश की प्रगति होगी।

*निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर*

**देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मध्यम व छोटे किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी**

### सरकार और मीडिया

मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन भारतीय मीडिया की गिरती साख और इसी बीच आई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूची उसे सवालों के घेरे में खड़ा करती है। 180 देशों में प्रेस की स्वतंत्रतता को मापने वाली इस सूची में भारत 140वें स्थान पर है। मोदी सरकार में विरोधियों द्वारा बहुसंख्यक मीडिया को पक्षधर बताने वाले बयानों पर यह सूची बहुत हद तक मुहर लगाती है। लेकिन जमीनी स्तर पर क्या मीडिया के एक धड़े ने पक्षपात किया है? मीडिया की स्वतंत्रता और उसके लिए खुला वातावरण, कानूनी ढांचे और स्वयं सेंसरशिप जैसे मानकों पर तैयार की जाने वाली इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को सत्ता के समक्ष नतमस्तक क्यों करार दिया गया है? इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव के दिनों में जिस मीडिया की सवारी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसी मीडिया से उन्होंने साढ़े चार साल अच्छी खासी दूरी बनाए रखी। बदलते मीडिया के दौर में इसे सरकार और जनता के बीच का पुल माना जाता है। लेकिन सरकार ने मीडियाकर्मियों के लिए कुछ सोचा ही नहीं। इस बीच तमाम पत्रकरों की हत्या की खबरें जरूर आई। नेताओं और मीडियाकर्मियों को अपने संबंध ठीक करने की आवश्यकता है ताकि जनता का भरोसा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में बरकरार रहे।

**पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।**